न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0:—88 / 2025 दायर दिनांक:— 30.05.2025

जीसीएमएस आई0डी0:—2025 / 246

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	कृष्णा पुत्र मनोहरी	जाति जाट निवासी ढिंढोरा
2.	गुनकी पुत्री रामोली	
3.	गीता पत्नि रमेश	
4.	चन्दन पुत्र मनोहरी	
5.	चन्दा पुत्री फैली	तहसील सूरौठ जिला करौली
6.	जीतेन्द्र पुत्र मनोहरी	
7.	तुलसी पुत्र मनोहरी	
8.	तुलसी पुत्र रमेश	
9.	नारायण पुत्र मनोहरी	
10.	पप्पी पुत्र रमेश	राजस्थान
11.	बबीता पुत्री रमेश	
12.	बाबू सिह पुत्र मनोहरी	
13.	रामदेई पुत्री रामोली	
14.	रामेश्वर पुत्र रामोली	
15.	सुशील पुत्र रमेश	
16.	वीर सिंह पुत्र फैली	
17.	सत्तो पुत्री मनोहरी	
18.	संतरा देवी पत्नि मनोहरी	
19.	सुपीता पुत्री रमेश	
20.	समय सिंह पुत्र रामोली	——————— सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

बनाम

1. प्रकाश पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी ढिढोंरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान
2. जीतेन्द्र पुत्र प्रकाश
3. धीरज पुत्र प्रकाश
4. बृजकिशोर पुत्र प्रकाश

जाति जाट निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।

———————————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री एस. एल. चौधरी वकील सायलान
2. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता वकील गैरसायलान

निर्णय

दिनांक :— 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय अदालत के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सायलान का सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 17 व पुराना खाता संख्या 21 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1543 रकबा 09 ऐयर, 754 रकबा 14 ऐयर, 755 रकबा 16 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 हेक्टेयर वाके ग्राम ढिण्ढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान में स्थित है। जो कि सायलान की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजीयात है। मूल खातेदार दिल्लो पुत्री रामोली व विरमा पुत्री रामोली फौत हो चुकी है। इसलिए उनके हिस्से की आराजीयात पर संयुक्त रूप से सायलान का कब्जा कास्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं० 3 प्रार्थना पत्र सायलान की खातेदारी एवम कब्जे कास्त की आराजीयात है। जिसको सायलान शांति पूर्वक बिना किसी बिघ्न बाधा के उपयोग उपभोग

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

कर कास्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि गैरसायलान की नीयत में बदयांति है। आये दिन गैरसायलान सायलान को हैरान परेशान करते चले आ रहे है। क्योंकि सायलान की आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र आबादी के नजदीक आ गयी है इसलिये वेश कीमती भूमि है। गैरसायलान लाठी वाले आदमी वाले लोग है जो कि आये दिन सीधे सादे लोगो की जमीनो हथियाने का नाकाम प्रयास करते है। और झगडा करने पर आमादा हो जाते है। इसलिये अब गैरसायलान सायलान की भूमि खसरा नम्वर 1543 में जबरन नीव खोदकर पक्का निर्माण करने की फिराक में है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायलान ने काफी धन खर्च करके तथा श्रम करके तथा उत्तम क्वालिटी की उर्वरक आदि डालकर जमीनो को उपजाऊ बनाया है। सायलान की जमीने वेश कीमती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि गैरसायलान की नजर सायलान की जमीन पर पड गयी है और गैरसायलान का सायलान की जमीन से कोई संबंध बास्ता किसी प्रकार का किसी भी रूप में नहीं है। गैरसायलान सायलान से उनकी जमीन को जबरन लाठी के बल पर छीनकर सायलान को बेदखल करने पर आमादा है। जबकि सायलान सीधे सादे गरीब शांति प्रिय व्यक्ति है। जिनके सीधे पन का नाजायज फायदा उठाकर जमीनो को जबरन छीनना चाहते है। गैरसायलान का गांव में आतंक है। तथा गैरसायलान ने मौके पर मानस मराई की सूरत पैदा कर रखी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि सायलान सीधे सादे नेकचलन आदमी है। गैरसायलान ने सायलान को टोर्चर कर रखा है। और गैरसायलान का समूह है जो कि आये दिन सायलान को हैरान परेशान करते रहते है, कब्जे कास्त में दखलन्दाजी करते रहते है। और सायलान के हिस्से की जमीन को जबरन हडप कर जाना चाहते है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

गैरसायलान ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने के लिये मौके पर मेटेरियल खण्डा, बजरी इकट्ठा कर लिया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 24-05-2025 को समय सुबह करीब 9 बजे की है कि सायलान अपनी भूमियो में साल संभाल करने गये था कि गैरसायलान अपने हाथो में घातक हथियार ले लेकर मय अपने हमराहियान के सायलान की भूमि में घुस आये तथा सायलान से कहा कि अब तुमने ये खेत बहुत जोत बो लिये अब तुम इन आराजीयात को भूल जाओ अब हम लाठी के बल पर जबरन कब्जा करेगें। तुमको बेदखल कर देगें। इस पर सायलान ने कहा कि भाईयों आप लोगो का हमारी जमीन से क्या लेना देना। फिर आप लोग हमको क्यो परेशान कर रहे हो। लेकिन गैरसायलान अपनी हठधर्मी पर आमादा बने रहे और मौके पर मानस मराई की स्थिति पैदा करदी है। तथा मौके पर बिल्डिंग मेटेरियल इकटठा कर दी तथा नीव खोद कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो गये। तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने पर आमादा हो गये। सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया तथा गणमान्य व्यक्तियो से भी समझवाया लेकिन गैरसायलान नही माने और अपनी हठधर्मी पर आमादा है अज खुद मानने को तैयार नही है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा व गैरकानूनी हरकतों में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही हो सकेगी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियो में गैरसायलान को जरिये टी आई पाबंद किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है। यदि गैरसायलान को पाबंद नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव नही हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद किया जावे कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

दौराने दावा गैरसायलान सायलान को भूमि मुतज्रिका मद नम्वर 2 प्रार्थना पत्र खसरा नम्वर 1543 रकबा 0.09 है0, 754 रकबा 0.14 है0, 755 रकबा 0.16 है0कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 है0,वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील हिण्डौन को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग काश्त करने देवे। गैरसायलान सायलान को उनकी जमीनों से जबरन बेदखल नही करे। तथा कोई नींव खोदकर पुख्ता निर्माण नहीं करे।कृषि से अकृषि में परिवर्तित नही करें तथा गैरसायलान ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे नाही किसी अन्य से करावे जिससे हकूक सायलान कोई क्षति पहुंचती हो। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 02.12.2025 को गैरसायलान की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट ने बकालतनामा एवं जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। लेकिन सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 में वर्णित आराजीयात ग्राम ढिंढोरा में स्थित होना स्वीकार है, लेकिन खसरा नम्बर 1543 पर सायलान का कब्जा नहीं है। गैरसायलान का कब्जा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। सायलान का खसरा नम्बर 1543 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि गैरसायलान का कब्जा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 1543 पर गैरसायलान ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि गैरसायलान की खरीदशुदा भूमि है। जिससे सायलान का कोई मालिकाना हक नहीं है। सभी मालिकाना हक गैरसायलान को प्राप्त हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। सायलान का खसरा नम्बर 1543 पर कोई कब्जा नहीं है, तो उनको बेदखल करने वाली बात बिल्कुल असत्य है। पूर्व से ही इस खसरा नम्बर गैरसायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। सायलान का गैरसायलान की भूमि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है बल्कि सायलान गैरसायलान को बेदखल कर स्वंय कब्जा करना चाहते हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। गैरसायलान ने कभी भी सायलान का कोई ऐलानियॉ धमकी नहीं दी क्योंकि गैरसायलान सायलान की भूमि पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर रहे हैं। सायलान ने सारे तथ्य असत्य एवं मनगढन्त दर्ज किये हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं010 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। सायलान को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति पैदा नहीं होती है सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में नहीं है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में है। सायलान का किसी प्रकार का कोई प्राईमाफेसी केश किसी प्रकार से साबित नहीं है।

उज्रात मजीद :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि सायलान का खसरा नम्बर 1543 की भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध में है। सारे अधिकार गैरसायलान को प्राप्त हैं। गैरसायलान ने उक्त भूमि दिनांक 12.05.1995 को खातेदार वीरसिंह व रमेश से 25000/– रूपया में खरीद की है और रकम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

देकर उसी समय कब्जा कर लिया गया तभी से गैरसायलान उक्त खसरा नम्बर पर काबिज व दखील चले आ रहे हैं, जिसकी एवज में 20/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखापढी कर सायलान वीरसिंह व रमेश ने सुन व पढ कर स्टाम्प पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा बकलम कल्याण प्रसाद गोयल ने स्वंय ने की है, जिस पर गवाहान जितेन्द्र व डोडी के हस्ताक्षर कराये गये हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायलान के दिल में बदयान्ति पैदा हो चुकी है। उनके नाम जमाबन्दी में होने के कारण उक्त भूमि को दूसरे व्यक्तियों को बेचना चाहते हैं। सायलान का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.09 है0, 754 रकबा 0.14 है0, 755 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

कुल रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ की खातेदारी कृष्णा पुत्र मनोहरी हि0 1/56, गुनकी पुत्री रामोली हि0 1/56, गीता पत्नि स्व0 रमेश हि0 1/27, चन्दन पुत्र मनोहरी हि0 1/56, चन्दा पुत्री फैली हि0 1/18, जीतेन्द्र पुत्र मनोहरी हि0 1/56, तुलसी पुत्र मनोहरी हि0 1/56, तुलसी पुत्र रमेश हि0 1/27, दिल्लो पुत्री रामोली हि0 1/56, नारायण पुत्र मनोहरी हि0 1/56, पप्पी पुत्री रमेश हि0 1/27, बबीता पुत्री रमेश हि0 1/27, बाबूसिंह पुत्र मनोहरी हि0 1/56, रामदेई पुत्री रामोली हि0 1/56, रामेश्वर पुत्र रामोली हि0 1/7, विरमा पुत्री रामोली हि0 1/56, वीरसिंह पुत्र फैली हि0 2/9, सत्तो पुत्री मनोहरी हि0 1/64, संतरादेवी पत्नि मनोहरी हि0 1/56, सन्तो पुत्री मनोहरी हि0 1/448, सुपीता पुत्री रमेश हि0 1/27, समयसिंह पुत्र रामोली हि0 1/7, सुशील पुत्र रमेश हि0 1/27 जातियान जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.09 है0, 754 रकबा 0.14 है0, 755 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ के सायलान रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। जिससे गैरसायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। गैरसायलान ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है कि उक्त विवादित आराजीयात को गैरसायलान के द्वारा क्रय कर लिया हो और उक्त विवादित आराजीयात पर गैरसायलान का कब्जा काश्त हो। जबकि सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूत के आधार पर सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1543 रकबा 0.09 है0, 754 रकबा 0.14 है0, 755 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम ढिंढोरा तहसील सूरौठ के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)